न्यायमूर्ति जे. एम. टंडन और एस. एस. कांग के समक्ष

राज नारायण और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

श्री भजन लाल और अन्य-प्रतिवादी

सिविल रिट याचिका संख्या 2615/1982

20 अक्टूबर 1982.

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 164 और 226-जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951 का XLIII)-धारा 73-राज्य विधान सभा के गठन की अधिसूचना जारी होने से पहले राज्यपाल द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री-ऐसी नियुक्ति-चाहे अनुच्छेद का उल्लंघन हो संविधान की धारा 164 और वैध नहीं - एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर इस आधार पर हमला किया गया कि उसके पास नियुक्ति के समय विधानसभा में अपेक्षित बहुमत नहीं था - बहुमत, हालांकि, सदन के पटल पर स्थापित - रिट ऑफ क्वो -वारंटो–क्या यह मानते हुए जारी किया जा सकता है कि प्रारंभिक नियुक्ति तकनीकी रूप से ठीक नहीं है–याचिकाकर्ता को किसी सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्ति में कोई विशेष या व्यक्तिगत रुचि नहीं है -ऐसा याचिकाकर्ता-क्या उसके पास अधिकार-पृच्छा के रिट के लिए अदालत में जाने का अधिकार है।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 164 के खंड (1) के तहत की जाती है। यह सच है कि इस अनुच्छेद के खंड

(2) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से होगी राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी। हालाँकि, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि विधान सभा की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को विधान सभा भंग होने के बाद भी पद पर बनाए रखा जा सकता है और यदि उन्हें विधान सभा के बिना भी पद पर बनाए रखा जा सकता है, तो विधान सभा की अनुपस्थिति में भी उन्हें इस प्रकार नियुक्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर इस आधार पर उचित रूप से हमला नहीं किया जा सकता कि विधान सभा का गठन उनकी नियुक्ति के बाद किया गया था।

(पैरा 5)

यह अभिनिर्णीत किया गया कि राज्य की विधान सभा के गठन के बाद और विधान सभा में स्पष्ट बहुमत रखने वाले एक राजनीतिक दल का दावा और उसके नेता राज्य में एक स्थिर सरकार बनाने में सक्षम हैं और सदन के पटल पर किसी भी संदेह से परे परीक्षण और साबित हो चुका है, बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त होने का हकदार है और रिट जारी करना व्यर्थ होगा इस स्तर पर यथास्थिति यह मान भी लिया जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में कोई तकनीकी खामी थी क्योंकि विधान सभा का गठन उनकी नियुक्ति के बाद किया गया था।

(पैरा 8)

यह अभिनिर्णीत किया गया कि यथास्थिति की प्रकृति में एक कार्यवाही लोगों के नाम पर और उनकी ओर से लाई जाती है और यह मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के हित में नहीं है, बल्कि आम तौर पर कार्यालयों और फ्रेंचाइज़ी के गैरकानूनी कब्जे के खिलाफ जनता की रक्षा के लिए है। सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकारी के हस्तक्षेप के बिना किसी निजी व्यक्ति के कहने पर अधिकार-पृच्छा की रिट का प्रस्ताव किया जा सकता है। यद्यपि अधिकार-पृच्छा की रिट इस अर्थ में अधिकार की रिट नहीं है कि अदालत प्रार्थना की गई राहत देने के लिए बाध्य है, फिर भी यदि किसी नियुक्ति की वैधता या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्यालय के दावे को आवेदक द्वारा चुनौती दी जाती है एक रिट के लिए और अदालत इस बात से संतुष्ट है कि याचिका प्रामाणिक रूप से दायर की गई है, अर्थात, अनुचित उद्देश्यों के बिना और बिना देरी के, उसे मामले की जांच करने और नियुक्ति की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार है, भले ही याचिकाकर्ता नहीं है उस कार्यालय के लिए एक प्रतिद्वंद्वी आवेदक और इस अर्थ में रिट के मुद्दे में उसका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है।

(पैरा 13)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ यथा वारंटो की प्रकृति में रिट जारी करने की कृपा कर सकता है और हरियाणा के मुख्यमंत्री के सार्वजनिक पद की घोषणा की जा सकती है। खाली। कोई अन्य उचित रिट, आदेश, निर्देश, जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, भी जारी किया जा सकता है, गंभीरता को देखते हुए

उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस देने की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है और मामले की तात्कालिकता.

-याचिकाकर्ता संख्या 1 के लिए वकील शुज्जत उल्लाह खान, वकील रोशन लाल बत्रा, वकील एस.एन. सिंघला और वकील आई.पी. अत्री,

-याचिकाकर्ता संख्या 2 के वकील सुदर्शन गोयल।

-राज्य के लिए हरभगवान सिंह, एजी, जीएल बत्रा, वरिष्ठ डीएजी, हरियाणा और अधिवक्ता अरुण वालिया।

निर्णय

(1) हरियाणा राज्य में विधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए आम चुनाव मई, 1982 में हुए थे। 19 मई 1982 को वोट डाले गये। 22 मई, 1982 को कुल 90 निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में 86 निर्वाचन क्षेत्रों में हुए चुनावों के परिणाम घोषित किये गये। 86 निर्वाचित सदस्यों की दलगत स्थिति इस प्रकार थी:-

(1)कांग्रेस-आई...34

(2) लोकदल...31

(3)बी.जे.पी....5

(4) कांग्रेस-जे. ...3

(5)जनता...1

(2) 22 मई 1982 को लोकदल पार्टी के नेता श्री देवीलाल ने राज्य के राज्यपाल से मुलाकात की और स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में होने का दावा किया। राज्यपाल ने श्री देवीलाल से 24 मई, 1982 को अपने समर्थकों (विधान सभा के सदस्यों) को उपस्थित कराने की इच्छा जताई, जो राज्य में सरकार के गठन में उनका समर्थन करने के लिए तैयार थे। कांग्रेस-आई पार्टी के नेता श्री भजन लाल ने 23 मई, 1982 को राज्यपाल से मुलाकात की और इसी तरह एक स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में होने का दावा किया। राज्यपाल ने श्री भजनलाल के दावे से आश्वस्त होकर उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। परिणामस्वरूप, श्री भजन लाल को 23 मई, 1982 की शाम को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। श्री राज नारायण (याचिकाकर्ता संख्या 1), जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं, और श्री सुभाष बागड़ी (याचिकाकर्ता संख्या 2), जो हरियाणा राज्य में उस पार्टी की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष थे ने मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजन लाल की नियुक्ति को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है और श्री भजन लाल, प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ क्वो वारंटो की प्रकृति में रिट के लिए प्रार्थना की है, और एक घोषणा के लिए कि सार्वजनिक कार्यालय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री का पद रिक्त है।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि हरियाणा राज्य में नई विधान सभा का गठन भारत के चुनाव आयोग द्वारा धारा 73 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद 'अधिनियम') द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 308/एचएन-एलए/82, दिनांक 24 मई, 1982 के तहत किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत विधान सभा की अनुपस्थिति

में मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 24 मई, 1982 को नई विधान सभा का गठन किया गया था, श्री भजन लाल को 23 मई, 1982 को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सका। इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति असंवैधानिक है।

(4) अधिनियम की धारा 73 का प्रासंगिक भाग पढ़ता है: -

“73. लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के आम चुनावों के परिणामों का प्रकाशन। जहां नए लोक सभा या नई राज्य विधान सभा के गठन के उद्देश्य से आम चुनाव आयोजित किया जाता है, वहां सभी चुनावों के परिणामों के बाद जितनी जल्दी हो सके चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र (उन निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर जिनमें धारा 30 के खंड (डी) के तहत मूल रूप से निर्धारित तिथि पर किसी भी कारण से मतदान नहीं हो सका या जिसके लिए चुनाव पूरा करने का समय धारा 153 के प्रावधानों के तहत बढ़ा दिया गया है) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, धारा 53 या धारा 66 के प्रावधानों के तहत उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम घोषित किए गए हैं और ऐसी अधिसूचना जारी होने पर उस सदन या विधानसभा को माना जाएगा। विधिवत गठित:

बशर्ते कि ऐसी अधिसूचना जारी करने को-

(ए) *** ** * *

(बी) उक्त अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले लोक सभा या राज्य विधान सभा की कार्य अवधि, यदि कोई हो, को प्रभावित करने के लिए,"

यह विवादित नहीं है कि नई विधान सभा से संबंधित अधिनियम की धारा 73 के तहत अधिसूचना भारत के चुनाव आयोग द्वारा 24 मई, 1982 को जारी की गई थी। इसलिए, हरियाणा राज्य में नई विधान सभा को माना जाएगा। 24 मई, 1982 से गठित किया गया।

(5) भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 का प्रासंगिक भाग पढ़ता है:

“164. मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान-

(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, और मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।

*****

(2) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

(3) * * **

(4) * * * *

(5) * * * * ”

याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क यह है कि संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड (2) के तहत मंत्रिपरिषद को राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार बनाया गया है। किसी विधान सभा के अभाव में मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए, संविधान विधान सभा की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की परिकल्पना नहीं करता है। हम इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहे हैं।

“मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड (1) के तहत की जाती है। यह सत्य है कि इस अनुच्छेद के खंड (2) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। हालाँकि, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि विधान सभा की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि विधान सभा भंग होने के बाद भी मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि विधानसभा भंग होने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उनके पद पर बनाए रखा जा सकता है, लेकिन विधानसभा की अनुपस्थिति में उन्हें इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तर्क बिना ताकत का है, "हमारा विचार है कि यदि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को विधान सभा के बिना पद पर बनाए रखा जा सकता है, तो उन्हें इसकी अनुपस्थिति में भी नियुक्त किया जा सकता है"। 23 मई, 1982 को मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजन लाल की नियुक्ति को इस आधार पर उचित रूप से चुनौती नहीं

दी जा सकती कि विधान सभा का गठन 24 मई, 1982 को अधिनियम की धारा 73 के तहत किया गया था।

(6) उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यह मानना (केवल तर्क के लिए) कि 23 मई 1982 को मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजन लाई की नियुक्ति तकनीकी रूप से दोषपूर्ण थी क्योंकि विधान सभा थी 24 मई, 1982 को गठित, इस स्तर पर अधिकार वारंट की रिट जारी करना अभी भी निरर्थक होगा, क्योंकि श्री भजन लाई का दावा, एक स्थिर सरकार बनाने में सक्षम बहुमत दल के नेता होने का है, विधान सभा के पटल पर बार-बार और प्रभावी ढंग से परीक्षण किया गया और साबित किया गया है। हरि शंकर प्रसाद गुप्ता बनाम सुखदेव प्रसाद और अन्य, (पूर्ण पीठ), और पी. एल. लखनपाल बनाम अजीत नाथ रे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, नई दिल्ली, और अन्य,(पूर्ण पीठ) पर भरोसा रखा गया है।

हरि शंकर प्रसाद गुप्ता के मामले में याचिकाकर्ता ने चुनाव न्यायाधिकरण के गठन को इस आधार पर चुनौती दी कि सदस्यों में से एक अपनी नियुक्ति की तारीख पर ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए योग्य नहीं था, लेकिन याचिका की सुनवाई की तारीख पर वह इतना योग्य हो गया था कि उसकी पुनर्नियुक्ति में कोई बाधा नहीं थी। उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, वे विवेकाधीन प्रकृति की हैं, हालाँकि उस विवेक का प्रयोग न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। न्यायालय ऐसे मामले में 'यथा वारंटो' नहीं देगा जहां मात्र अनियमितता को ठीक किया जा सकता है।

(7) पीएल लखनपाल के मामले (सुप्रा) में यह फिर से माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार वारंट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का दायरा इंग्लैंड की तुलना में व्यापक नहीं है और इस देश में न्यायालयों ने उन सिद्धांतों का पालन किया है जिनमें सीमाएं भी शामिल हैं जो इंग्लैंड में अच्छी तरह से स्थापित हैं। आगे यह माना गया कि उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति वारंट का मुद्दा निरर्थक होगा क्योंकि वरिष्ठ न्यायाधीशों के इस्तीफे के परिणामस्वरूप, न्यायमूर्ति ए.एन. रे (तब उनका आधिपत्य था) सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश बन गए थे। न्यायाधीश को न केवल पुनः नियुक्त किया जा सकता है बल्कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पुनः नियुक्त होने का हकदार होगा, यदि यह तर्क कि वरिष्ठता की परंपरा कानून का नियम है और अनुच्छेद 124(2) में निहित है, सही है।

(8) हरियाणा की विधान सभा का गठन 24 मई 1982 को हुआ था। कांग्रेस-आई पार्टी के पास विधान सभा में स्पष्ट बहुमत होने और उसके नेता के राज्य में स्थिर सरकार बनाने में सक्षम होने के दावे का परीक्षण किया गया है और सदन के पटल पर किसी भी संदेह से परे साबित किया गया है। श्री भजन लाई विधानसभा में बहुमत दल (कांग्रेस- I) के नेता हैं और मुख्यमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त होने के हकदार हैं। ऊपर वर्णित दोनों प्राधिकारियों के अनुपात को लागू करते हुए इस स्तर पर अधिकार वारंट की रिट जारी करना व्यर्थ होगा, भले ही यह मान लिया जाए कि 23 मई, 1982 को मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजन लाई की नियुक्ति में कोई तकनीकी दोष था, क्योंकि विधान सभा का गठन 24 मई 1982 को अधिनियम की धारा 73 के तहत किया गया था।

(9) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि इस तथ्य के बावजूद कि 22/23 मई, 1982 को कांग्रेस-1 सबसे बड़ी बहुमत वाली पार्टी (34) थी, उसके पास सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं था। लोकदल (31) और भारतीय जनता पार्टी (5) के बीच गठबंधन था. श्री देवीलाल लोकदल पार्टी के नेता होने के नाते गठबंधन के नेता बने। इसलिए, राज्यपाल समिति की रिपोर्ट के अनुसार, जिसे संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत कानून का बल प्राप्त है, राज्यपाल श्री देवीलाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए बाध्य थे। तर्क निराधार है, सबसे पहले, गवर्नर्स कमेटी की रिपोर्ट, जिस पर भरोसा किया गया है, को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है और दूसरी बात, राज्यपाल समिति की रिपोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 160 के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए प्रावधान के रूप में नहीं लिया जा सकता है। यह जोड़ा जा सकता है कि श्री भजन लाल ने लिखित बयान में कहा है कि लोक दल और भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव के उद्देश्य से केवल सीट समायोजन की व्यवस्था की गई थी और इसके अलावा इन दोनों दलों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। विधानसभा में एकल समूह के रूप में कार्य करेगा इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि इन परिस्थितियों में राज्यपाल श्री देवीलाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे। इस बिंदु पर राज्यपाल का निर्णय मूलतः राजनीतिक है और उनका विवेक निरंकुश है। राज्यपाल का ऐसा निर्णय अंतरिम प्रकृति का होता है और अंतिम नहीं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत इसे सदन द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार किया जा सकता है।

(10) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि 23 मई 1982 को श्री भजन लाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने में राज्यपाल की कार्रवाई अनावश्यक विचारों और दुर्भावनापूर्ण

थी। इस आधार पर श्री भजन लाल की मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति रद्द किये जाने योग्य है। राज्यपाल ने अपने हलफनामे में रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए दुर्भावनापूर्ण आरोप से इनकार किया है। राज्यपाल द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए कथन के मद्देनजर, उनके खिलाफ दुर्भावना का आरोप कायम नहीं रखा जा सकता है। राज्यपाल की ओर से दुर्भावना के आधार पर श्री भजन लाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने को याचिकाकर्ताओं की चुनौती को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

(11) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि 22 मई, 1982 को राज्यपाल ने श्री देवीलाल से 24 मई, 1982 को अपने समर्थकों को पेश करने की इच्छा जताई थी। राज्यपाल 24 मई, 1982 तक श्री देवीलाल और उनके समर्थकों की प्रतीक्षा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे और 23 मई, 1982 को श्री भजन लाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की राज्यपाल की कार्रवाई अवैध है। हम भी इस विवाद से प्रभावित नहीं हैं. यह सत्य है कि 22 मई, 1982 को राज्यपाल ने श्री देवीलाल से 24 मई, 1982 को अपने समर्थकों की उपस्थिति चाही। हालाँकि, इसने राज्यपाल को 23 मई, 1982 को श्री भजन लाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने से नहीं रोका, यदि भजन लाल को विश्वास था कि भजन लाल एक स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। श्री भजनलाल 23 मई, 1982 को राज्यपाल से मिले। यह समझा जाता है कि राज्यपाल श्री भजन लाल के दावे की वास्तविकता के बारे में आश्वस्त थे, जिसके परिणामस्वरूप भजन लाल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 23 मई, 1982 को श्री भजनलाल की मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।

(12) हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं के पास वर्तमान रिट याचिका को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजन लाई की नियुक्ति में उनका कोई विशेष हित शामिल नहीं है। एस. पी. गुप्ता और अन्य बनाम भारत के राष्ट्रपति और अन्य पर भरोसा रखा गया है, जिसमें यह माना गया है कि अधिकार क्षेत्र और न्यायसंगतता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है और राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से हर चूक न्यायसंगत नहीं है। न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने न्यायिक कार्य की सीमाओं का उल्लंघन न करे और उन क्षेत्रों में अतिक्रमण न करे जो संविधान द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के लिए आरक्षित हैं। आगे यह माना गया कि ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य या चूक से निस्संदेह सार्वजनिक चोट होती है, लेकिन इस तरह के कार्य या चूक से किसी व्यक्ति या किसी विशिष्ट वर्ग या व्यक्तियों के समूह को विशिष्ट कानूनी चोट भी लगती है। ऐसे मामलों में पर्याप्त हित रखने वाला जनता का कोई सदस्य निश्चित रूप से ऐसे कार्य या चूक की वैधता को चुनौती देने वाली कार्रवाई कर सकता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति या विशिष्ट वर्ग या व्यक्तियों का समूह जो इस तरह के कार्य या चूक के परिणामस्वरूप प्राथमिक रूप से घायल हुए हैं, तो ऐसा करें। किसी भी राहत का दावा नहीं करना चाहते हैं और ऐसे कृत्य या चूक को स्वेच्छा से और बिना विरोध के स्वीकार करना चाहते हैं, जनता का वह सदस्य जो द्वितीयक सार्वजनिक चोट की शिकायत करता है, ऐसे सदस्य के उदाहरण पर कार्रवाई पर विचार करने के प्रभाव के लिए कार्रवाई को बरकरार नहीं रख सकता है। जनता को प्राथमिक रूप से घायल व्यक्ति या विशिष्ट वर्ग या व्यक्तियों के समूह पर राहत थोपनी होगी, जो वे नहीं चाहते।

(13) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उत्तरदाता एस. पी. गुप्ता के मामले (सुप्रा) के अनुपात को लागू नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्वो वारंटो का कोई रिट शामिल नहीं था, जबकि इस तरह के रिट के लिए तत्काल मामले में प्रार्थना की गई है। हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क मान्य होना चाहिए। द किंग बनाम स्पीयर में, यह माना गया था कि प्रिवी काउंसिल के एक सदस्य के खिलाफ, जिसकी नियुक्ति कथित रूप से अवैध है, एक निजी संबंधक के कहने पर यथा वारंटो की प्रकृति की जानकारी दी जाएगी। फैरिस द्वारा 'असाधारण कानूनी उपचार' में क्वो वारंटो से संबंधित अध्याय में कहा गया है कि कार्यवाही लोगों के नाम पर और उनकी ओर से लाई गई है और यह मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के हित में नहीं है, बल्कि लोगों की रक्षा के लिए है। आम तौर पर जनता कार्यालयों और फ्रेंचाइजी के गैरकानूनी कब्जे के खिलाफ है। मसेह उल्लाह शाह बनाम अब्दुल रहमान सूफी और अन्य में, यह माना गया था कि सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना किसी निजी व्यक्ति के कहने पर क्वो वारंटो की रिट के लिए एक प्रस्ताव दिया जा सकता है। के. शिवरामकृष्णन बनाम पी. अरुमुघा मुदलियार} पंजीकरण निरीक्षक मद्रास-1 और अन्य मामले में, यह माना गया था कि यद्यपि अधिकार वारंट का रिट अधिकार का रिट नहीं है, इस अर्थ में कि न्यायालय प्रार्थना की गई राहत देने के लिए बाध्य है फिर भी, यदि किसी नियुक्ति की वैधता या किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद पर दावे को आवेदक द्वारा रिट के माध्यम से चुनौती दी जाती है, और न्यायालय संतुष्ट है कि याचिका प्रामाणिक रूप से, यानी अनुचित उद्देश्यों के बिना और बिना देरी के दायर की गई है, उसे मामले की जांच करने और नियुक्ति की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार है, भले ही याचिकाकर्ता उस कार्यालय का प्रतिद्वंद्वी आवेदक नहीं है, और इस अर्थ में रिट के मुद्दे में उसका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सी. डी. गोविंदा राव और अन्य मामले में, यह माना गया था कि इससे पहले कि कोई नागरिक अधिकार वारंट का दावा

कर सके, उसे अदालत को संतुष्ट करना होगा, अन्य बातों के साथ, कि विचाराधीन कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है और उसके पास है कानूनी अधिकार के बिना सूदखोर, और इससे आवश्यक रूप से जांच होती है कि क्या उक्त कथित सूदखोर की नियुक्ति कानून के अनुसार की गई है या नहीं। ऊपर उल्लिखित अधिकारियों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए यह मानना मुश्किल है कि याचिकाकर्ता क्वो वारंटो के वर्तमान रिट को बरकरार नहीं रख सकते हैं, खासकर जब उनकी प्रामाणिकता पर संदेह करने की कोई बात नहीं है। इसलिए, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं के पास क्वो वारंटो के वर्तमान रिट को बनाए रखने का अधिकार है।

(14) विद्वान महाधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया एक और मुद्दा यह है कि राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत श्री भजन लाल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। संविधान के अनुच्छेद 361 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, श्री भजन लाई को मुख्यमंत्री नियुक्त करने में राज्यपाल की कार्रवाई पर दुर्भावना के आधार पर भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हम भी इस विवाद से प्रभावित नहीं हैं.

संविधान का अनुच्छेद 361 पढ़ता है:

“361. राष्ट्रपति और प्रमुखों की सुरक्षा.–

(1) राष्ट्रपति, या राज्य के राज्यपाल, अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

अनुच्छेद 361 का खंड (1), जिसे ऊपर प्रस्तुत किया गया है, राज्यपाल को अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह होने से छूट देता है। इस प्रावधान की यह व्याख्या नहीं की जा सकती कि राज्यपाल की कार्रवाई पर उनकी ओर से दुर्भावना के आधार पर अदालत में आलोचना नहीं की जा सकती।

(15) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमें रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे तुरंत खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Karandeep

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh